

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :-NHM/BHDS/53/2022 - पी.पी.एम. 176 -

/पटना दिनांक-16.12.2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग।

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम मद से स्वीकृत छत पर बागवानी अन्तर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न देयता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12.40605 लाख (बारह लाख चालीस हजार छः सौ पाँच) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम मद से स्वीकृत छत पर बागवानी अन्तर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न देयता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12.40605 लाख (बारह लाख चालीस हजार छः सौ पाँच) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-NHM/BHDS/53/2022- पी.पी.एम.-118 दिनांक-13.09.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम मद से छत पर बागवानी अन्तर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 191.00 लाख (एक करोड़ एकानवे लाख) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप देय राशि का ससमय भुगतान नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्पन्न देयता 12.40605 लाख (बारह लाख चालीस हजार छः सौ पाँच) रुपये के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह चालू योजना है।

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत छत पर बागवानी अन्तर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना का जिलावार वित्तीय उपलब्धि/सृजित देयता से संबंधित प्रतिवेदन अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।

4. वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन उद्यान निदेशालय द्वारा पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से कराया गया है।

5. योजनान्तर्गत देयता की राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि छत पर बागवानी अन्तर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना में अब कोई भी देयता की राशि शेष नहीं है एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही स्वीकृत राशि का भुगतान करेंगे तथा किसी भी गलत भुगतान के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. स्वीकृत राशि का भुगतान विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-NHM/BHDS/53/2022-पी०पी०एम०-118 दिनांक-13.09.2024 एवं इसके साथ अनुसूची-4 के रूप में संलग्न मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

7. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची-1 के अनुसार वित्त विभागीय पत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन करने हेतु संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला के कोषागार से फार्म नं०-BTC-25 पर CFMS-2.0 के माध्यम से किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन एवं व्यय में बिहार वित्तीय नियामावली का अनुपालन संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-NHM/BHDS/53/2022-पी०पी०एम०-118 दिनांक-13.09.2024 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

10. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना हैं।

11. देयता संबंधित मूल स्वीकृत्यादेश संख्या- NHM/BHDS/53/2022- पी०पी०एम०-118 दिनांक-13.09.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम मद से छत पर बागवानी अन्तर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 191.00 लाख (एक करोड़ एकानवे लाख) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन से प्रदान की गयी थी परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष में उद्यान विकास योजना हेतु वित्त विभाग से विषय शीर्ष 0101-33-01 सब्सिडी मद में बजट उपबंध प्राप्त होने के कारण निम्नलिखित बजट शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है :-

(राशि लाख रू० में)

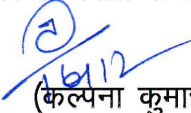
बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या-01, उप शीर्ष 0101-उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101-33-01 सब्सिडी।	19084.4900	11.68605
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-01, उप शीर्ष - 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130-33-01 सब्सिडी।	4860.0000	0.72000
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01, उपशीर्ष 0152-उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01- 2401007960152, विषय शीर्ष 0152-33-01 सब्सिडी।	355.5100	0.00000
कुल	24300.0000	12.40605

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 तथा पत्रांक-201 दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय संबंधित प्रस्ताव सहित स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन सचिका संख्या-NHM/BHDS/53/2022 के पृ०सं०-129/टि० पर दिनांक-15.12.2025 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि०(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—NHM/BHDS/53/2022 के पृष्ठ संख्या—128/टि० पर दिनांक—28.11.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या—876 दिनांक—27.11.2025 है।

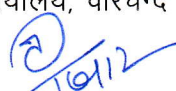
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी.पी.एम० - 176- /पटना दिनांक - 16.12.2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी.पी.एम० - 176- /पटना दिनांक - 16.12.2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

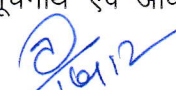


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी.पी.एम० - 176- /पटना दिनांक - 16.12.2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

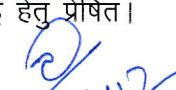


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी.पी.एम० - 176- /पटना दिनांक - 16.12.2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, तथा भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



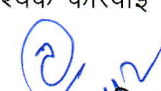
अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी.पी.एम० - 176- /पटना दिनांक - 16.12.2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/संबंधित उप निदेशक (शष्प)/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, पटना, मुजफ्फरपुर, गया एवं भागलपुर/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (उद्यान) प्रक्षेत्र/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी.पी.ए.सं. - 176 -

/पटना दिनांक - 16.12.2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्प), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

A

B

C

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-21

वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत पर बागवानी योजना अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि के विरुद्ध भुगतान एवं उत्तरदेयता से संबंधित प्रतिवेदन।

राशि लाख रुपये में

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वित्तीय उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि के विरुद्ध भुगतान की गयी राशि				उत्तरदेयता की राशि जिसे 2025-26 में भुगतान किया जाना है।			
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना	98.80414	92.88045	4.10219	0.00000	96.98264	1.82150	0.00000	0.00000	1.82150
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, गया	7.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.78000	0.72000	0.00000	7.50000
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	2.88261	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.88261	0.00000	0.00000	2.88261
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर	0.69897	0.39046	0.09941	0.00716	0.49703	0.20194	0.00000	0.00000	0.20194
कुल		109.88572	93.27091	4.20160	0.00716	97.47967	11.68605	0.72000	0.00000	12.40605

(अभिषेक कुमार)